न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जी.सी.एम.नम्बर 2022/714

1. गोपाल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम हाडोता तहसील चौमू जिला जयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौमू जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये पटवारी पटवारी हल्का हाडोता तहसील चौमू जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ जयपुर अपील संख्या 02/2021 दिनांक 29—11—2022 उनवानी गोपाल बनाम राजस्थान सरकार एंव निणर्य तहसीलदार चौमू दिनांक 02—09—2020 मिसल संख्या 12/2020 सरकार बनाम गोपाल।

उपस्थित—

1. श्री बंशीधर जाट वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल

निर्णय

दिनांक—02.04.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ जयपुर के आदेश दिनांक 29.11.2022 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि यह कि अपीलांट गोपाल पुत्र रामलाल जाति जाट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ के समक्ष वाके ग्राम हाडोता तहसील चौमू जिला जयपुर में स्थित भूमि आराजी खसरा नं. 1460/1 रकबा 0.03 है0 में से 12 वर्गमीटर भूमि किस्म गै0 मु0 रास्ता की भूमि पर तहसीलदार चौमू द्वारा अतिक्रमण मानते हुये अतिक्रमी को मौके से बेदखल करने के संबध में दिये गये आदेश को गलत बताते हुये अपील प्रस्तुत की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.2022 को तहसीलदार चौमू के निर्णय को विधि अनुरूप मानते हुये मियाद के बिन्दु पर अपील खारिज किये जाने के आदेश दिये गये।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 29.11.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट गोपाल पुत्र रामलाल द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ जयपुर के निर्णय दिनांक 29.11.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधिनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि_विवादित आराजीयात वाके ग्राम हाडोता तहसील चौमू जिला जयपुर में स्थित है । प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नही किया गया है मेरी स्वंय की भूमि रास्ते के सीमा लगवा है तथा ई.डी.एम. मशीन से राष्ट्रीय राजमार्ग मेरी भूमि व विवादित रास्ते की भूमि का सीमा ज्ञान करवाया जावे। उसके पश्चात् अधिवक्ता ने पैरवी नहीं की तथा दिनांक 02–09–2020 को एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जिसके विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील संख्या 2/2021 प्रस्तुत किया की गई तथा निवेदन किया गया कि अपीलान्ट को साक्ष्य, सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। कुछ ग्रामीण व्यक्ति राजनैतिक द्वेवषता रखते हैं पूर्व में भी दिनांक 08–02–2020 को कार्यवाही की गई थी। जो अतिरिक्त कलेक्टर तृतीय द्वारा दिनांक 10–05–2011 को अपील स्वीकार की गई थी। पटवारी द्वारा केवल मात्र साईक्लो स्टाईल रिपोर्ट तैयार की गई है हल्का पटवारी व गिरदावर बयान तहसीलदार द्वारा नहीं किये गये सीमाज्ञान गलत तरीके से किया गया है इस कारण तसीलदार चौमू का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय पारित करने में अहम कानूनी भूल की है पत्रावली पर पटवारी गिरदावर के बयानात नहीं लिये गये है उक्त तथ्यो को भी बिना समझे ही अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील खारिज करने में अहम कानूनी भूल की है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ जयपुर निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार चौमू द्वारा पटवारी हल्का हाडैता की रिपोर्ट अनुसार एवं गिरदावार की जॉच रिपोर्ट के आधार पर ही प्रार्थी को अतिक्रमी मानकर भू राजस्व अधिनियम की धारा–91 के तहत् विधिअनुरूप कार्यवाही की है एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत् विलम्ब के संतोषप्रद कारण नहीं देने की दशा में अपील निरस्त कर दी जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि उक्त मूल विवाद वाके ग्राम हाडोता तहसील चौमू जिला जयपुर में स्थित भूमि आराजी खसरा नं. 1460/1 रकबा 0.03 है0 में से 12 वर्गमीटर भूमि किस्म गै0 मु0 रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी ने अवैध रूप से गैर मु0 रास्ते पर तारबंदी कर अतिक्रमण किया हुआ है। जिसकी पुष्टि गिरदावर ने अपनी जॉच रिपोर्ट में भी की है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा अपीलांट द्वारा 03 माह के विलम्ब से अपील पेश करने के संबंध में अपीलान्ट द्वारा कोई पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण भी प्रस्तुत नहीं करने की दशा में प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद अधिनियम खारिज कर अपील खारिज की गई है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लगभग 3

भारतीय राजस्व
जयपुर

जयपुर के निर्णय दिनांक 29.11.2022 में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं तथा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ जयपुर का निर्णय दिनांक 29.11.2022 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 02.04.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।